

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/जे-725/18/

दिनांक:—

आदेश

निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 परीवीक्षाधीन का उनके नाम के सम्पूर्ण अंकितानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

क्र०स०	नाम कार्गिक	अवकाश अवधि
1	सुरेश कुमार जाट	दिनांक 27.02.16 से दिनांक 28.03.16 तक -31 दिवस
2	मुकेश कुमार कुमावत	दिनांक 27.02.16 से दिनांक 28.03.16 तक -31 दिवस
3	बालूराम वन्देल	दिनांक 27.02.16 से दिनांक 28.03.16 तक -31 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (कम संख्या 01 से 03 का 01 दिवस) की सीमा तक परीवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/जे-725/18/ 799

दिनांक:— 4/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।